UPUN010014632026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, उन्नाव
प्रकीर्ण दाण्डिक वाद सं0–102/2026

शोएब–––––प्रति ––––––––सरकार

10.04.2026

पत्रावली प्रार्थना पत्र 3क के निस्तारण हेतु नियत है।

प्रार्थी शोएब द्वारा धारा 448 बी0एन0एस0एस0 के अर्न्तगत प्रार्थना पत्र 3क समर्थित शपथ–पत्र 4ख प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि वह उपरोक्त वाद में अभियुक्त है। उसकी सत्र परीक्षण सं0 317/2023 मु0 अ0 सं0 256/2022 धारा 457,380,411 भा0दं0सं0 थाना गंगाघाट जिला उन्नाव की पत्रावली ए0डी0जे0 प्रथम उन्नाव के यहॉ विचाराधीन है किन्तु उसकी अन्य पत्रावली ए0डी0जे0 3 उन्नाव के यहॉ विचाराधीन है जिनका अ0 सं0 260/2022 –– धारा 380,411,413 भा0दं0सं0 थाना गंगाघाट उन्नाव, अ0 सं0 259/2022 धारा 457,380,411 भा0दं0सं00 थाना गंगाघाट उन्नाव एवं अ0 सं0 263/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना गंगाघाट उन्नाव है। न्यायहित में उसकी पत्रावली मु0 अ0 सं0 256/2022 एस0टी0 नं0 317/2023 धारा 457,380,411 भा0दं0सं0 थाना गंगाघाट उन्नाव न्यायालय ए0डी0जे0 प्रथम उन्नाव से न्यायालय ए0डी0जे0 तृतीय उन्नाव में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। अत : उसकी पत्रावली मु0 अ0 सं0 256/2022 एस0टी0 नं0 317/2023 धारा 457,380,411 भा0दं0सं0 थाना गंगाघाट उन्नाव न्यायालय ए0डी0जे0 प्रथम उन्नाव से ए0डी0जे0 तृतीय उन्नाव के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाये।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उन्नाव द्वारा प्रार्थना पत्र पर मौखिक रूप से आपत्ति की गयी है।

सुना तथा सम्बन्धित न्यायालय से प्राप्त रिपोर्टो का अवलोकन किया।

दोनों सम्बन्धित न्यायालयों से प्राप्त आख्या के अनुसार उपरोक्त वर्णित पत्रावलियां अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम उन्नाव के न्यायालय एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 3 उन्नाव के न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि उसकी अन्य पत्रावली अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 3 उन्नाव के यहॉ विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में उक्त मामलों के एक ही न्यायालय में विचारण हेतु अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम उन्नाव के न्यायालय में –– विचाराधीन उक्त पत्रावली को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 3 उन्नाव के न्यायालय में अन्तरित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 3क अर्न्तगत धारा 448 बी0एन0एस0एस0, स्वीकार किया जाता है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम उन्नाव के न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली विशेष सत्र वाद सं0 317/2023 सरकार बनाम सौरभ धानुक आदि, अ0 सं0 256/2022 धारा 457,380,411 भा0दं0सं0 थाना गंगाघाट जिला उन्नाव को विधिनुसार निस्तारण हेतु अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 3 उन्नाव के न्यायालय में अन्तरित किया जाता है। तद्नुसार यह प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–10.04.2026

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
[J.O. Code–UP 6552]
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

अजय

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.04.10 17:40:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Unnao.